लोक निर्माण विभाग–अनुभाग–2
संख्या–1501/ III(2)/18–03(आडिट)/2009
देहरादून : दिनांक 07 अप्रैल, 2018

कार्यालय ज्ञाप

शासन के पत्र संख्या 1373/III(2)/13–03(ऑडिट)/2009 दिनांक 26 फरवरी, 2013 द्वारा सेतुओं की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए सेतु स्थल से 1 कि0मी0 दोनों दिशाओं में फिलर लगाये जाने की कार्यवाही करते हुए मिट्टी, रेत, बजरी व पत्थर आदि खनन कार्य को पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित किया गया है।

शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उक्त शासनदेश को अवक्रमित करते हुए सेतुओं के निकट नदी तल में खनन कार्य हेतु निम्नानुसार कार्यवाही खनन विभाग द्वारा लोक निर्माण विभाग एवं अन्य सम्बन्धित विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए की जायेगी :–

1. किसी भी हालत में Marked Bed Level से नीचे खनन नहीं किया जाए।
2. Multispan Bridges में upstream side तथा Downstream Side में खनन हेतु प्रतिबन्धित क्षेत्र का निर्धारण खनन गतिविधि प्रारम्भ करने से पूर्व आयुक्त (गढ़वाल/कुमांयू) की अध्यक्षता में क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, वन संरक्षक तथा निदेशक खनन की समिति द्वारा किया जायेगा।
3. ऐसी सभी Bridges जिनकी Foundation वर्तमान में River Bed से ऊपर Rock पर है। ऐसे Bridges में upstream तथा Downstream Side में 300 मी0 तक खनन प्रतिबन्धित किया जाय।
4. जिन Bridges की Foundation Bed Level में है तथा Single Span है, उसमें 500 मी0 प्रतिबन्धित क्षेत्र Upstream व Downstream side में रखा जाए।
5. लोक निर्माण विभाग खनन प्रतिबन्धित क्षेत्र का Demarkation करेगा तथा Multispan Bridges में पानी का बहाव सभी span पर बराबर रहे, हेतु वर्ष भर समय–समय पर Monitoring करेगा।
6. नदी का स्वामित्व वन/राजस्व विभाग का होने के कारण प्रतिबन्धित क्षेत्र में खनन रोकने का दायित्व वन/राजस्व विभाग का होगा।
7. खनन वाले भाग में खनन को निर्धारित व नियमानुसार करने हेतु दायित्व खनन विभाग का होगा।
8. वर्षा काल से पूर्व सेतुओं के Upstream व Downstream side में River Bed Level का निर्धारण Irrigation Department करेगाा।
9. वर्षा काल के उपरान्त पुनः Irrigation Department सेतु के U/S व D/S side के Bed Level का माप कर निर्णय लेना कि खनन/भरान किस Level तक किया जाएगा।
10. उपरोक्त कार्यो हेतु सभी विभाग वर्षा से पूर्व/उपरान्त संयुक्त निरीक्षण कर उपरोक्त कार्यवाही करना सुनिश्चित करेगें।
11. समिति में सभी सेतुओं में :–

    (क) 60 मी0 Span तक लोक निर्माण विभाग की तरफ से सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग/अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग/सहायक वन संरक्षक/एस0डी0एम0 व डिप्टी डायरेक्टर खनन अथवा शासन द्वारा नामित सदस्य रहेंगे।

P. T. O

II 055

(ख) 60 मी0 Span से ज्यादा के सेतुओं के लिए भू–वैज्ञानिक खनिक विभाग अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग/अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग/ संरक्षक/एस0डी0एम0 डिप्टी डायरेक्टर खनन अथवा शासन द्वारा नामित रहेंगे।

12. समिति वर्षा से पूर्व माह मार्च से मई तक निरीक्षण कर 10 जून तक अपनी रिपोर्ट देंगे वर्षा के बाद 15 सितम्बर के पश्चात 30 अक्टूबर तक निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट 10 नवम्बर तक प्रस्तुत करेगी।

(ओम प्रकाश)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–1501/ III(2)/18–03(आडिट)/2009 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2– समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3– आयुक्त, गढवाल/कुमांऊ मण्डल, उत्तराखण्ड।
4– निदेशक, खनन विभाग, उत्तराखण्ड।
5– प्रबन्ध निदेशक, गढ़वाल/कुमांऊ मण्डल विकास निगम/वन विकास निगम लि0, उत्तराखण्ड।
6– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7– प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग/सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8– समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
9– निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10– लोक निर्माण अनुभाग–1/3, उत्तराखण्ड शासन।
11– गार्ड बुक।

कार्यालय

(ओम प्रकाश)
अपर मुख्य सचिव

पृ0पत्र सं0:–355/22 अधिप्राप्ति/2018 दिनांक–11.04.2018

प्रतिलिपिः–समस्त मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय/रा0मा0/वर्ल्ड बैंक/पी0एम0यू0, ए0डी0बी0, लो0नि0वि0, देहरादून/हल्द्वानी/टिहरी/पिथौरागढ़/पौड़ी/अल्मोड़ा को इस आशय के साथ प्रेषित कि शासकीय पत्र में दिये गये निर्देशानुसार अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः–वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी नियोजन–I/II/III को शासकीय पत्र में दिये गये निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष